# न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

## पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

**इस्तगासा संख्या 2023/1** **दायर दिनांक 03.01.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

**बनाम**

सुनील सैनी पुत्र बाबुलाल जाति सैनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 साहवा तहसील पुलिस थाना साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु। **–गैरसायल–**

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975**

**उपस्थित :–**

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

**निर्णय** **दिनांक : 06.10.2023**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सुनील सैनी पुत्र बाबुलाल जाति सैनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 साहवा तहसील पुलिस थाना साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु का रहने वाला है, जो सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

| क.स. | मुकदमा नम्बर मय दिनांक | धारा | नतीजा पुलिस | जे.एफ. नम्बर | नतीजा अदालत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08/21.01.2020 | 13 RPGO | चालान 31.01.2020 | 103/2020 | सजा 20.02.2020 |
| 2. | 128/25.08.2021 | 13 RPGO | चालान 31.08.2021 | 469/2021 | सजा 06.09.2021 |
| 3. | 131/22.07.2022 | 13 RPGO | चालान 31.07.2022 | – | – |

अतः इस्तगासा विरुद्ध सुनील सैनी पुत्र बाबुलाल जाति सैनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 साहवा तहसील पुलिस थाना साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.10.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है तथा प्रकरण में नरमी का रूख अपनाकर प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप करने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2023/1

**सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम सुनील सैनी**

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 21.01.2020, 25.08.2021 व 22.07.2022 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल सुनील सैनी पुत्र बाबुलाल जाति सैनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 साहवा तहसील पुलिस थाना साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल सुनील सैनी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा गैरसायल सुनील को थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना तारानगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा व थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू